



डॉ० भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बद्ध महाविद्यालय
डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
आगरा

पत्रांक-सी०ओ०ई०/32/2018
दिनांक - 12.01.2018

विषय- मुख्य परीक्षा सत्र 2016-17 के पुनःपरीक्षा के परीक्षा फार्म मुख्य परीक्षा 2017-18 के साथ भरवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुपालन में आपको निम्नवत सूचित किया जाता है कि :-

- 1- मुख्य परीक्षा वर्ष 2016-17 के कला/विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के स्नातक पाठ्यक्रम के एक अथवा दो विषयों/ग्रुपों में अनुत्तीर्ण तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के एक अथवा दो प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी सत्र 2017-18 की मुख्य परीक्षा के साथ पुनः परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा वर्ष 2016-17 के परीक्षार्थी के लिये यह अन्तिम अवसर, मात्र परीक्षा वर्ष 2017-18 तक के लिये मान्य होगा। सत्र 2017-18 के परीक्षार्थी परीक्षा की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत ही पुनःपरीक्षा में सम्मिलित होंगे।
- 2- पुनः प्रवेश /पुनः परीक्षा सम्बन्धी परीक्षा-अध्यादेश चैप्टर XXVI की धारा 3 के परन्तुक अंश " and in case the candidate fails to secure the minimum pass marks at the Part I Supplementary examination, this Part II examination, taken simultaneously, shall stand automatically cancelled ."

के अनुसार ऐसे परीक्षार्थी जो इस सत्र में पार्ट I की पुनः परीक्षा तथा प्रौन्नति कक्षा/पार्ट II की मुख्य परीक्षा अथवा पार्ट II की पुनःपरीक्षा तथा प्रौन्नति कक्षा / पार्ट III की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तथा प्रौन्नति कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं परन्तु पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, को पुनः परीक्षा की कक्षा पार्ट I/पार्ट II (जैसी भी स्थिति हो) में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश लेना होगा तथा उनका प्रौन्नति कक्षा का परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि अध्यादेश के उक्त प्राविधान को परीक्षार्थियों के मध्य प्रसारित करके संलग्न शपथ पत्र को पूर्ण कराने के पश्चात् पुनः परीक्षा 2016-17 के इच्छुक/अर्ह परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म को भरवाने का कष्ट करें।

भवदीय


(कैलाश नाथ सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधीक्षक, कुलपति कार्यालय को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- 2- कुलसचिव।
- 3- वित्त अधिकारी।
- 4- उप कुलसचिव परीक्षा एवं गोपनीय।
- 5- (i) एजेन्सी 2015-18 को इस आशय के साथ प्रेषित कि स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पुनःपरीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के परीक्षा फार्म को उपरोक्त आदेश के अनुसार कालेज लॉग इन के द्वारा आनलाइन भरवाया जाना सुनिश्चित करें।
(ii) संलग्न शपथ पत्र को पुनःपरीक्षा फार्म के साथ संलग्न करते हुए परीक्षा फार्म भरवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 6- गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक

शपथ पत्र

मैंपुत्र
कक्षा/विषय अनुक्रमांक
परीक्षा वर्ष में महाविद्यालय
का छात्र रहा हूँ। मैं परीक्षा वर्ष 2017 की परीक्षा में एक/दो
विषयों/प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण हो गया हूँ। इस कारण मैं पुनः परीक्षा का
फार्म भर रहा हूँ। विश्वविद्यालय के निर्देशों के क्रम में महाविद्यालय द्वारा
मुझे शैक्षिक सत्र 2017-18 में पुनःपरीक्षा में सम्मिलित होने के साथ
विश्वविद्यालय के अध्यादेश के चैप्टर XXVI की धारा 3 के परन्तुक के
अन्तर्गत सशर्त प्रोन्नति कक्षा में प्रवेश दिया गया है। अध्यादेश के
प्रावधानों का मैं पालन करूँगा। इस प्रावधान से मैं पूर्णतया अवगत हूँ।
यदि प्रोन्नति कक्षा में उत्तीर्ण परन्तु पुनःपरीक्षा में अनुत्तीर्ण होऊँगा तो
अध्यादेश के प्रावधानों के क्रम में प्रोन्नति कक्षा का परीक्षाफल निरस्त कर
दिया जाय, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

प्राचार्य द्वारा प्रमाणन
(हस्ताक्षर एवं मुहर)

दिनांक.....

शपथकर्ता
(परीक्षार्थी के हस्ताक्षर)

दिनांक